न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 57/2024
3. उनवान : 1. हीरालाल पुत्र गोपी (फौत)

1/1. श्योजीराम पुत्र स्व. श्री हीरालाल

1/2. हनुमान पुत्र स्व. श्री हीरालाल

जाति जाट निवासी श्रीरामपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर–ग्रामीण

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर

–रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 20/12/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री तेजाराम भंवरिया अपीलार्थीगण की ओर से।

ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्रीरामपुरा तहसील फुलेरा की भू–प्रबन्ध खतौनी सम्वत 2011 से 2029 के अनुसार मूल खसरा नम्बर 322 का रकबा 09 बीघा 7 बिस्वा किस्म बंजड 1 सिवायचक (सरकारी) खाते में दर्ज थी। तत्पश्चात जिलाधीश जयपुर के आदेश क्रमांक 1090 दिनांक 16.08.1962 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 322 में से 7 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुरा के नाम खेल मैदान हेतु आवंटन हुई जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 211 दर्ज किया गया, परन्तु मौके पर आबादी/मकान बने हुये होने का कारण अंकित करते हुये दिनांक 20.02.1973 को तत्कालीन सरपंच द्वारा नामान्तकरण नामंजूर कर दिया गया। उक्त खसरा नम्बर 322 का शेष रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा भूमि नामान्तकरण संख्या 210 तस्दीक दिनांक 20.02.1973 के द्वारा सिवायचक से गै.मु. आबादी दर्ज हुई जो वर्तमान जमाबंदी में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुरा के नाम उक्त खसरा नम्बर 322 में से 07 बीघा भूमि आवंटन का नवीन नामान्तकरण संख्या 341 तत्कालीन राजस्व कार्मिकों द्वारा नियम विरूद्ध पुनः दर्ज किया गया जो पूर्व के आदेश से ही दर्ज किया गया जबकि उक्त आदेश का नामान्तकरण संख्या 11 खारिज हो चुका था। नियमानुसार खारिजशुदा नामान्तकरण की या तो अपील की जाती या पुनः आदेश जारी कर दर्ज किया जाना चाहिए था। विवादित भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुरा के नाम उक्त भूमि आंवटन से पूर्व ही आबादी बसी हुई थी तथा उक्त भूमि कभी भी खेत मैदान हेतु उपयोग में नहीं ली गई। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 322/1 रकबा 1.7703 हैक्टेयर (7 बीघा) के मौके पर आवासीय मकान एवं बाडे बने हुये है। उक्त विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा के द्वारा दिनांक

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

23.09.1975 को आबादी भूमि मानते हुये आबादी भूमि पर बाडा व रोडी, घास डालने बाबत नोटिस दिया था तभी से ही उक्त भूमि आबादी भूमि रही है। उक्त विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कई लोगों के हक में पट्टे जारी कर रखे हैं। तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर ने आज्ञा/निर्णय से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक निर्णय पारित कर दिया गया है। जबकि पटवारी की साक्ष्य भी मनमाने व गलत तरीके से तहसीलदार द्वारा करवाई गई है। तहसीलदार द्वारा आज्ञा से पूर्व जो नोटिस दिया गया है, वह कब्जा हटाने व हाजा के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में दिया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। जबकि अपीलार्थीगण को नोटिस जवाब देय का एवं साक्ष्य साबूत प्रस्तुत करने के संबंध में दिया जाना चाहिए था। उक्त प्रकरण से संबंधित सत्यता का अपीलार्थीगण को मालुम नहीं था। न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं देते हुये तहसीलदार ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 322/1 किस्म गै.मु. स्कूल मैदान रकबा 1.7703 हैक्टेयर में से 2254 वर्गमीटर पर पक्का मकान व बाडा बनाकर स्थाई कब्जा है, उन्हे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही आज्ञा पारित कर दी गई। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर पुश्तैनी स्थाई कब्जा रहा है जो करीब 70 वर्षों से रह रहे है तथा 50 वर्षो से स्थाई बिजली कनेक्शन लगा हुआ है तथा उक्त विवादित भूमि सैटलाईट नक्शे में भी पूर्ण आबादी बसा हुआ क्षेत्र है। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 21.09.2023 है तथा उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हो पायी तथा जब पटवारी द्वारा अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी बतायी गई तो अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 27.11.2024 को आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन कर नकल दिनांक 28.11.2024 को उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त की गई। जिस कारण उक्त अपील अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 21.09.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थीगण ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा के प्रकरण संख्या 43/2023 निर्णय दिनांक 21.09.2023 की प्रमाणित प्रति पेश की।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। पत्रावली में मूल रिकार्ड मंगवाया गया तथा बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि जिलाधीश जयपुर के आदेश क्रमांक 1090 दिनांक 16.08.1962 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 322 में से 7 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुरा के नाम खेल मैदान हेतु आवंटन हुई जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 211 दर्ज किया गया, परन्तु मौके पर आबादी/मकान बने हुये होने का कारण अंकित करते हुये दिनांक 20.02.1973 को तत्कालीन सरपंच द्वारा

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

नामान्तकरण नामंजूर कर दिया गया। उक्त खसरा नम्बर 322 का शेष रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा भूमि नामान्तकरण संख्या 210 तस्दीक दिनांक 20.02.1973 के द्वारा सिवायचक से गै.मु. आबादी दर्ज हुई। नियमानुसार खारिजशुदा नामान्तकरण की या तो अपील की जाती या पुनः आदेश जारी कर दर्ज किया जाना चाहिए था। उक्त भूमि में आंवटन से पूर्व ही आबादी बसी हुई थी तथा उक्त भूमि कभी भी खेत मैदान हेतु उपयोग में नहीं ली गई। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 322/1 रकबा 1.7703 हैक्टेयर (7 बीघा) के मौके पर आवासीय मकान एवं बाडे बने हुये है। निर्णय से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक निर्णय पारित कर दिया गया है। आज्ञा से पूर्व जो नोटिस दिया गया है, वह कब्जा हटाने व हाजा के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में दिया गया है। न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं देते हुये तहसीलदार ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर पुश्तैनी स्थाई कब्जा रहा है तथा 50 वर्षों से स्थाई बिजली कनेक्शन लगा हुआ है। अपीलार्थीगण को नकल दिनांक 28.11.2024 को उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अतः तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 21.09.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार दौराने बहस कथन किया कि हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया तथा नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रार्थी की ओर से अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र में देरी के उचित कारण प्रतीत होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मियाद अधिनियम की धारा 5 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार द्वारा 91 की कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अवमानना याचिका दायर करने पर की गई है जबकि तहसीलदार फुलेरा को अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 322 के सन्दर्भ में रा0प्रा0वि0 श्रीरामपुरा को खेल मैदान हेतु दिनांक 16/08/1962 की पालना में पंचायत द्वारा नामान्तरण संख्या 211 दिनांक 20/02/1973 उक्त भूमि पर आबादी बसी होने के कारण खारिज कर दिया गया था, इस तथ्य को नजर अन्दाज किया गया था। परन्तु इसके लगभग 5 वर्ष बाद तहसीलदार द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 16/08/1962 का नामा0 संख्या 341 दिनांक 01/12/1978 को स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय) इस न्यायालय में पेश होने पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29/11/2024 द्वारा उक्त नामा0 खारिज किया गया। इस प्रकार प्रश्नागत भूमि के आवंटन का नामन्तरण लगभग 50 वर्ष पूर्व मौके पर आबादी होने के कारण खारिज किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आबादी की तत्समय से पूर्व की बसी हुई होगी।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

ऐसे में इतनी पुरानी आबादी पर तहसीलदार द्वारा धारा–91 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है तथा तहसीलदार द्वारा 50–60 वर्षों से बसी आबादी पर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही किया जाना विवेकपूर्ण नहीं है। उचित होता कि तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को इस संबंध में पुरानी आबादी बसी होने के कारण नियमानुसार उचित कार्यवाही करनी चाहिए। प्रधानाचार्य रा0उ0मा0 विद्यालय श्रीरामपुरा द्वारा तहसीलदार फुलेरा को पत्र क्रमांक 2033 दिनांक 06/04/2018 में अंकित किया है कि ''वर्तमान में इस विद्यालय के पास स्वामित्व रूप से विद्यालय एवं खेल मैदान के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कुल 8 बीघा जमीन विद्यालय के नाम से दी गई थी। यह जमीन इस विद्यालय हेतु पर्याप्त है। इससे पूर्व रा0 प्रा0 वि0 श्रीरामपुरा के नाम से जो भूमि आवंटित थी उस पर काफी वर्षों पूर्व से आबादी थी जो गांव के मध्य में है। उसके पास मकान बस चुके हैं। विद्यालय को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन उस भूमि को इच्छानुसार आवंटित कर सकता है।''

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि मौका स्थिति पर पुरानी आबादी लगभग 50–60 वर्ष पूर्व से बसी होने के फलस्वरूप नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर उचित कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर